राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार, सुजानगढ (चूरु)

–: निर्णय :–

नम्बर मुकदमा – 7/2017 निर्णय दिनांक 18.09.2016

पत्रावली का वास्ते निर्णय अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि रोही बीङ छापर के खसरा नम्बर 35 कुल रकबा 16.01 बीघा गै.मु.सिवाय चक में से 8.01 बीघा भूमि पर ओमप्रकाश पुत्र भूराराम जाति नाई निवासी छापर द्वारा नाजायज रुप से काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त अतिक्रमी ने सम्वत 2073 में भी फसल खरीफ में इसी भूमि पर नाजायज काश्त की थी तथा सम्वत् 2074 में पुनः अतिक्रमी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिक्रमी को अपना पक्ष पेश करने हेतु दिनांक 25.08.17 को नोटिस दिया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 की उप धारा (2) के अन्तर्गत पश्चात वर्ती अतिक्रमी होने के आशय से भी सूचित किया गया। नोटिस विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 30.08.17 को शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली दिनांक 11.09.17 को पेश हुई जिसमें हल्का पटवारी के लिखित बयान लिये जाकर शामील पत्रावली किये गये। जिसमें हल्का पटवारी द्वारा पिछले वर्ष सम्वत 2073 में भी इसी भूमि पर अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण करने के बयान दिये। दिनांक 18.09.17 को पत्रावली निर्णय में रखी गई। दिनांक 13.09.17 को अप्रार्थी अधिवक्ता श्री रतनलाल साध ने जबाब नोटिस पेश किया जिसे शामील पत्रावली किया गया। जबाब नोटिस में अधिवक्ता ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के यहां प्रस्तुत अपील की छाया प्रति प्रस्तुत की जो प्रमाणित नही है।

पटवारी हल्का देवाणी की रिपोर्ट के तथ्यों की पुष्टी हेतु गत् खरीफ सम्वत 2073 के मुकदमा नम्बर 11/2016 सरकार बनाम प्रकाशचन्द उर्फ ओमप्रकाश की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया कि इस मुकदमे के निर्णय दिनांक 16.09.16 द्वारा गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश पारित किये गये है। इस निर्णय की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक सुजानगढ द्वारा गैर सायल को दिनांक 18.09.16 को फर्द ए बेदखली द्वारा भौतिक रुप से बेदखल किया गया। यह रिपोर्ट मुकदमा नम्बर 11/2016 के सलंग्न है।

Scanned by CamScanner

इस प्रकार पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन एवं पटवारी हल्का देवाणी की रिपोर्ट दिनांक 25.07.17, पटवारी हल्का के बयान दिनांक 11.09.17 तथा अप्रार्थी अधिवक्ता के जबाब नोटिस एवं मुकदमा नम्बर 11/2016 सरकार बनाम प्रकाशचन्द उर्फ ओमप्रकाश की पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय एवं बेदखली रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल ने ग्राम बीङ छापर की गै.मु.सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 08.01 बीघा पर काश्त कर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमी घोषित किया जाता है। साथ ही गैर सायल को पश्चात वर्ती अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि ग्राम बीङ छापर के खसरा नम्बर 35 कुल रकबा 16.01 बीघा गै.मु.सिवाय चक में से 8.01 बीघा भूमि पर से अतिक्रमी ओमप्रकाश पुत्र भूराराम जाति नाई निवासी छापर को बेदखल किया जावे। भू.अ. निरीक्षक को अतिक्रमी को बेदखल करने तथा कुर्क शुदा फसल को निलाम की जाकर राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया जाता है। अतिक्रमण करने के जुर्म में राजस्व लगान 0.70 रुपये प्रति बीघा की दर से 50 गुणा 35 रुपये तावान से दण्डित किया जाता है। पटवारी हल्का को तावान राशि वसूल करने हेतु लिखा जावे । TRA से रिकार्ड में तावान राशि का अंकन कराया जावे।

अतिक्रमी ओमप्रकाश पुत्र भूराराम जाति नाई निवासी छापर का ग्राम बीङ छापर के खसरा नम्बर 35 गै.मु.सिवाय चक की 8.01 बीघा भूमि पर पश्चात वर्ती अतिक्रमण का दोष सिद्व होने पर इन्है एक माह की सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना छापर को आदेश की पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बातरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरेआम इजलास में सुनाया गया।

तहसीलदार
सुजानगढ (चूरु)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार सुजानगढ

क्रमांक– राजस्व/2017/554-555 दिनांक 26.09.16

–: आदेश :–

न्यायालय की पत्रावली संख्या 7/2017 निर्णय दिनांक 18.09.17 के अनुसरण में अतिक्रमी औमप्रकाश पुत्र भूराराम जाति नाई निवासी छापर को रोही बीड़ छापर के खसरा नम्बर 35 कुल रकबा 16.01 बीघा गै.मु.सिवाय चक में से 8.01 बीघा भूमि से बेदखल किया जाता है तथा तावान 35.00 रुपये कायम किया जाता है। भूमि पर कुर्क शुदा फसल को निलामी की कार्यवाही कर राशि राजकोष में जमा करने के आदेश जारी किये गये है।

तहसीलदार
सुजानगढ

दिनांक 26 .09.16

क्रमांक– राजस्व/2017/

1. प्रतिलिपि भू.अ.निरीक्षक सुजानगढ को उक्तानुसार कार्यवाही सपांदित कर पालना रिपोर्ट 3 दिन में पेश करे।
2. प्रतिलिपि पटवारी हल्का देवाणी को तावान राशि वसूल करने हेतु ।

तहसीलदार
सुजानगढ

प्राप्त
Recd 27-9-17
ILR Suj.

27/9/17